






छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : M-PRO-2018-00032

श्रीमति प्रियंका भारद्वाज विरूद्ध श्री एम.आहूजा, रायपुर
ग्रीन ग्लोरी अपार्टमेंट, खम्हारडीह, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
<p>24/07/2018.</p>	<p>– प्रकरण प्रस्तुत। – प्रकरण में आवेदिका स्वतः उपस्थित। – अनावेदक अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित। – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका द्वारा अनावेदक के खम्हारडीह, रायपुर (छ.ग.) स्थित रियल एस्टेट प्रोजेक्ट "ग्रीन ग्लोरी" में फ्लैट क्रमांक-ए-501 कय करने हेतु 16,90,000/- रुपये में सौदा किया गया था। प्रश्नाधीन फ्लैट हेतु आवेदिका द्वारा अनावेदक को कुल 13,70,000/- रुपये का भुगतान किया गया था। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका का कथन है कि वर्ष 2012 से अनावेदक द्वारा प्रश्नाधीन फ्लैट की न रजिस्ट्री की जा रही है, न ही आधिपत्य दिया जा रहा है। आवेदिका द्वारा उक्त बुकिंग निरस्त कर उनके द्वारा भुगतान की गई सम्पूर्ण राशि ब्याज व क्षतिपूर्ति सहित वापस दिलाने की प्रार्थना की गई है। – प्रकरण में अनावेदक को नोटिस जारी कर सुनवाई प्रारंभ की गई। सुनवाई के दौरान आवेदिका ने उभय पक्षों के मध्य सहमति व सुलह की प्रक्रिया प्रारंभ होने से प्राधिकरण के समक्ष समय की मांग की गई। प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त समयावधि के भीतर आवेदिका ने दिनांक 24.07.2018 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर अवगत कराया कि अनावेदक द्वारा आवेदिका के पक्ष में प्रश्नाधीन फ्लैट की रजिस्ट्री निष्पादित की जा चुकी है। आवेदिका ने उभय पक्षों के मध्य सहमति व सुलह हो जाने से प्राधिकरण के समक्ष विचाराधीन प्रकरण को निराकृत करने हेतु शपथ पत्र समर्थित लिखित आवेदन भी प्रस्तुत किया है। – प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य आपसी सहमति व सुलह होने तथा आवेदिका के पक्ष में प्रश्नाधीन फ्लैट की रजिस्ट्री निष्पादित होने के फलस्वरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है। – उभय पक्षों को आदेश की प्रति उपलब्ध कराकर प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए अभिलेखागार भेजा जावे।</p>	  
	<p> (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य</p>	<p> (विवेक ढांड) अध्यक्ष</p>

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर

